

9/3/22

पत्रावली पैरा 285) वकील वादी उपस्थित। वादपत्र  
में वाणीत भारजियात बखत पश्कारान के मध्य  
रजिनामा हो जाने से वादपत्र के अनुसार  
मौजा नौरंगाबाद परवार मण्डल मिलादा के  
खाराखरवा 5 व खारा खरवा 29 की वादपत्र  
भारजियात में भारजी नम्बर 285 को छोड़कर  
अन्य सभी भारजियात में से परिवारिया  
सरजूबाई का नाम हटाया जाकर उक्त  
भारजियात में वादी मीरू लाल का  $\frac{1}{2}$   
हिस्सा तथा खारा खरवा 28 में वाणीत <sup>1/2</sup>  
भारजियात अकेले मीरू लाल की खारदारि  
को घोषित की जाती है। तथा खारा खरवा  
29 की भारजी नम्बर 285 खरवा 0.6320  
है भूमि में से वादी मीरू लाल का नाम  
राजरव अमिलिये से हटाया जाकर  $\frac{1}{2}$  हिस्सा  
हक तथा परिवारिया कुमांक एक सरजूबाई  
का हिस्से हक की खारदार घोषित की जाती  
है। इसी अनुसार टिकी पत्र अलग से  
भूतिका हो केकर शाखिल पत्रावली हो।  
पत्रावली फेराल शुमाट केक नम्बर से  
कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

डंगला